न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 55/2025

हमीराराम पुत्र उगमाराम
बनाम
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला

दिनांक 8.10.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर 128/2024 (2024/224) में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–अपीलांट–हमीराराम पुत्र उममाराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील सेखाला स्थित ग्राम शिवसर के ख0नं0 476/3 एवं 476/4 की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रार्थी द्वारा पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया और न ही पत्थरगढी से पूर्व वादग्रस्त आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। जबकि प्रकरण में अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों के तहत आवश्यक पक्षकार संयोजित करने के प्रावधान है तथा आरएलआर एक्ट की धारा 111, 128 में पैमाईश एवं नेखमबंदी के बाध्यकारी प्रावधान उपलब्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पडौसी खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण जांच कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

8/10/25
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध फर्द सीमांकन–मौका रिपोर्ट दिनांक 24.05.2024 में वादग्रस्त खसरान की भूमि का वक्त सीमांकन मौके पर पड़ौसी खातेदारों द्वारा विवाद करने पर सीमाज्ञान स्थगित करने का उल्लेख है तथा तहसीलदार सेखाला के जवाब दिनांक 17.12.24 में पडौसी खातेदारों के साथ विवाद होने के कारण उन्हें आवश्यक रूप से पक्षकार बनाये जाने का उल्लेख है। अतः प्रकरण में वादग्रस्त खसरान के पडौसी खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर विधि अनुसार निस्तारण का अभाव पाया गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा आवेदन / मुकदमा नम्बर 128 / 2024 (2024 / 224) में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक 8.10.2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

8/10/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर